अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी.एण्ड.सी.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 26 अप्रैल, 2021

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए मार्च, 2021 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में मार्च, 2021 माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उपभोक्ता मामले विभाग

मार्च, 2021 माह का मासिक सारांश

मार्च 2021 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां/निर्णय

1. भारतीय मानक ब्यूरो:

1.1 उपभोक्ता मामले विभाग ने डीपीआईआईटी के सहयोग से दिनांक 03 मार्च को भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन का सरल अनुपालन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें विनिर्माता औद्योगिक संघ जैसे कि सीआईआई, फिक्की, एसोचेम और पीएचडीसीसीआई और विशेषज्ञों ने विविध विषयों पर विचार-विमर्श किया। कार्यशाला में समयबद्ध तरीके से भारतीय मानको के संशोधन के साथ-साथ नए विषय क्षेत्रों में मानकों के निर्माण पर फोकस किया गया। यह सुझाव दिया गया कि मानकों के संबंध में परामर्श चर्चाओं में शामिल होने के लिए इच्छुक पणधारियों के लिए बीआईएस वेबसाइट पर सरल पंजीकरण सुविधा दी गई। औद्योगिक प्रतिनिधियों ने एयर कंडीशनर, फुटवियर, कांच के उत्पादों और इलेक्ट्रिकल वस्तुओं के लिए अधिक जांच सुविधाओं की आवश्यकता को भी उजागर किया।

1.2 बदलते पर्यावरण तंत्र में भारतीय मानक ब्यूरो को अधिक तेज और उत्तरदायी बनाने के लिए विभाग द्वारा हाल ही में बीआईएस के कुछ विनियमनों में किए गए संशोधन निम्नानुसार हैं-

(क) प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना की शुल्क संरचना को संशोधित किया गया और शुल्क को कम कर दिया गया है। लाइसेंसधारियों को यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षण नमूना निर्दिष्ट कार्यालय या प्रयोगशाला में सात दिनों की निर्धारित समयाविधि में पहुँच जाए। विदेशी विनिर्माताओं के लिए, भारतीय रूपए के बराबर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने का अतिरिक्त विकल्प दिया गया है।

(ख) किसी उत्पाद के प्रमाणन लाइसेंस को स्थगित करने की अनुमति उसकी वैद्यता की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक दी गई है। इससे पहले, स्थगन के तहत, केवल 3 माह तक के लिए पुननर्वीकरण के प्रावधान की स्वीकृति थी। इस संशोधन के साथ वित्तीय समस्याओं अथवा अप्रत्याशित समस्याओं के कारण लाइसेंस के संचालन में असमर्थता के मामले में लाइसेंसधारियों के अनुरोध से लाइसेंस की समाप्ति को स्थगित कर दिया गया। यह विनिर्माताओं को विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में, बीआईएस प्रमाणन क्षेत्र में बने रहने की सुविधा प्रदान करेगा और इससे समग्र अनुपालन के बोझ में कमी आएगी।

एक से अधिक लाइसेंस वाले विनिर्माताओं के लिए, प्रत्येक अनुवर्ती उत्पाद के लिए विनियमनों में संशोधन के माध्यम से प्रमाणन लाइसेंस के न्यूनतम अंकन शुल्क में 10% की छूट दी गई है।

2. **मूल्य निगरानी गतिविधियां:**

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संबंधित समितियों की बैठकों में दालों के मूल्य रूझान और मांग-आपूर्ति में अंतर को रेखांकित किया गया और आवश्यक नीतिगत विषयों की जरूरत पर बल दिया गया। तदनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए मूंग, उड़द और तूर के आयात कोटा को निर्धारित और अधिसूचित किया गया। इसके अतिरिक्त मार्च के महीने में डीजीएफटी द्वारा दालों के आयात के लिए एक नया तंत्र अधिसूचित किया गया। आवेदन की समूची प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया और आबंटन एनआईसी, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा क्रमरहित एल्गोरिथम पर आधारित होगा जिसकी विधीक्षा सी-डैक द्वारा की गई है।

3. उपभोक्ता संरक्षण:

3.1 केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने विभिन्न कॉर्पोरेट घरानों और कंपनियों को भ्रामक दावों, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में उनके स्पष्टीकरण के लिए 13 कारण बताओ नोटिस (स्वत: संज्ञान लेकर अथवा शिकायतों पर) जारी किए हैं।

3.2 त्रिपुरा और उत्तराखंड में उपभोक्ताओं/अधिवक्ताओं को ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से अपने उपभोक्ता शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान के लिए इन दो राज्यों में उपभोक्ता आयोगों में ई-दाखिल पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही, ई-फाइलिंग पोर्टल का शुभांरभ करने वाले कुल राज्यों की संख्या 17 हो गई है।

****